

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 फरवरी 2016—माघ 15, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2016

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 15.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा अधिसूचना क्र. एफ-2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-15 दिनांक 10 अप्रैल 2013 एवं अधिसूचना क्र. एफ-2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-15 दिनांक 1 जुलाई 2015 को विलोपित करते हुए परिवहन विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं पदभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा समय-सीमा में निराकरण न होने की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत परिवहन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील अधिकारी के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.1	लर्निंग ड्राईविंग लायसेंस जारी करना.	क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी.	10 कार्य दिवस.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
15.2	वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करना.	क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	संभागायुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.3	वाहन का पंजीयन	क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
15.4	लर्निंग ड्राईविंग लायसेंस की प्रतिलिपि जारी करना.	क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी.	07 कार्य दिवस.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
15.5	वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि जारी करना.	क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी.	07 कार्य दिवस.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
15.6	वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण.	क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी.	07 कार्य दिवस.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
15.7	ड्राईविंग लायसेंस जारी करना.	क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
15.8	डुप्लीकेट ड्राईविंग लायसेंस जारी करना.	क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
15.9	ड्राईविंग लायसेंस नवीनीकरण.	क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त

आवेदन के निराकरण से संतुष्ट न होने पर गुण दोषों के आधार पर अपील, मोटरयान अधिनियम, एवं अन्य संगत विभागीय प्रावधानों के अंतर्गत की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिंजन राव, सचिव.